

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता चंदन सिंह पुत्र अरुण सिंह निवासी अतरौरा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 286 / 2020 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

वारण्टी

थाना महुली पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता रूपई पुत्र अमन निवासी ग्राम जोगाराजा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 11 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- थाना धर्मसिंहवा पुलिस द्वारा 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1488 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 1488 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 09092 से कालर ने दो पक्षों मे मारपीट होने से 01 व्यक्ति के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया । सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में मौके पर पहुँचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0 स्व0 केन्द्र नाथनगर पहुंचाया गया तथा प्रतिवादी को विधिक कार्यवाही हेतु थाना महुली के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर मारपीट में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मुख्य आरक्षी विनोद ओझा, हो0चा0 मेजर यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 46 वाहनो से 42100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया आज दिनांक 08-10-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 46 वाहनो से 42100 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।